11.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम ईटडिया में पैश हुई। वादी संख्या 01 स्वयं मय अधिवक्ता ने शिविर में उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर, इसी आशय के बयान कलमबद्ध कराये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वादीगण का वादपत्र को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11/10/21

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested